

# निवेश नीतियों से बड़ा लक्ष्य साधेगी सरकार

राष्ट्र लखनऊ: यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-23 के माध्यम से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने और वन ट्रिलियन डालर का लक्ष्य साधने के प्रयासों में सरकार की नेक नीयत और निवेश नीतियां सेतु का काम कर रही हैं। अब तक करीब 22 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव और 1.85 करोड़ अनुमानित रोजगार सृजन का आंकड़ा इन्हीं के बूते यूपीजीआइएस-23 के तीन दिनों के मेगा शो के दौरान मूर्त रूप लेने जा रहा है।

यूपी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड इंप्लायमेंट पालिसी-2022 के बैनर तले अलग-अलग सेक्टर की करीब 25 सेक्टरल नीतियों में निवेशकों को आकर्षित करने का ताना-बाना राज्य सरकार ने तमाम राज्यों की औद्योगिक नीतियों का अध्ययन करने के बाद बुना है। इनमें सिर्फ कैपिटल सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी, विद्युत शुल्क में छूट समेत अन्य रियायतों का ही वादा नहीं किया गया है बल्कि वादों पर खरा उतरने की प्रतिबद्धता भी जताई गई है।

पहली बार अनुदान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आनलाइन

**22** लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव अब तक सरकार को मिल चुके हैं

**1.85** करोड़ रोजगार के लक्ष्य की सारथी बनीं नीतियां

इन्सेंटिव सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम लांच किया गया है।

छोटी इकाइयों से मिलेगा बड़ा रोजगार : ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर अब तक आए निवेश की तस्वीर बता रही है कि बड़ी कंपनियां जहां बड़ा निवेश कर राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देंगी वहीं, छोटी इकाइयां बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का जरिया बनेंगी।

तीन हजार करोड़ से अधिक के निवेश का वादा करने वाली कंपनियों ने 13.82 लाख करोड़ के निवेश का वादा किया है। ये कंपनियां प्रदेश में 11.47 लाख से अधिक रोजगार सृजन का जरिया बनेंगी।

पचास करोड़ तक निवेश करने वाली छोटी इकाइयां निवेश के पैमाने पर तो सिर्फ 1.18 लाख करोड़ का ही निवेश करेंगी लेकिन इससे सृजित होने वाले रोजगार का संभावित आंकड़ा 1.27 करोड़ से अधिक होगा।

## इन्वेस्ट यूपी के चार अहम पिलर

निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतरने के लिए राज्य सरकार ने चार स्तरीय फ्रेमवर्क तैयार किया है। निवेश सारथी के मध्यम से निवेशकों की जिज्ञासाओं के समाधान के साथ ही आनलाइन एमओयू की सुविधा दी गई है। वहीं, 100 से अधिक मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र, निवेशकों की मदद के लिए रखे गए हैं। निवेश मित्र-2.0 नामक सिंगल विंडो पोर्टल सभी तरह के क्लियरेंस की प्रक्रिया को तय सीमा में पूरा करने में मदद करेगा। सबसे अहम पिलर आनलाइन इन्सेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम को बताया जा रहा है। यह सरकार के वादों की पारदर्शिता को भी दर्शा रहा है। पहली बार निवेशकों को औद्योगिक पालिसी के दायरे में आने वाले सभी तरह के अनुदान आनलाइन मुहैया कराए जाएंगे। निवेशकों से किए गए वादे के तहत उन्हें पालिसी के अंतर्गत समय-सीमा के भीतर इन्सेंटिव दिया जाएगा।